



HOUSING BOARD  
HARYANA

**आवास बोर्ड हरियाणा**

2017 - 2018 के वार्षिक खाते तथा तुलन पत्र



# आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला

2017-18 के वार्षिक खाते

## सूचकांक

क्रम सं.	विवरण	पेज नम्बर
1.	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	1 - 5
2.	तुलन पत्र	6
3.	आय एवं व्यय खाता	7 - 8
4.	तालिका - 1 पूंजीगत निधि	9
5.	तालिका - 2 रिजर्व और अधिशेष	9
6.	तालिका - 3 असुरक्षित ऋण	10
7.	तालिका - 4 चालू देयताएं एवं प्रावधान	10
8.	तालिका - 5 स्थाई परिसम्पत्तियां (मुख्यालय)	11
9.	तालिका - 5क स्थाई परिसम्पत्तियां (टेकनीकल)	12
10.	तालिका - 6 चालू सम्पत्तियां	13
11.	तालिका - 7 ऋण एवं अग्रिम	14
12.	तालिका - 8 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां व लेखों पर टिप्पणियां	15 - 16



# आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला के 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1. हमने आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला के 31 मार्च 2018 तक के सलंगन तुलन-पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के प्राप्ति एवं भुगतान आय एवं व्यय लेखा की लेखापरीक्षा, हरियाणा आवास बोर्ड अधिनियम 1971 (1971 की हरियाणा अधिनियम सं. 20) के साथ पठित नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (3) के अंतर्गत की है। ये वित्तीय बोर्ड के प्रबन्धन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणियों पर मत प्रकट करना है।
2. इस पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बेहतर लेखांकन पद्धतियों, लेखांकन मानकों तथा प्रकटीकरण मानकों इत्यादि से अनुरूपता, वर्गीकरण से सम्बन्धित केवल लेखांकन प्रतिपादन पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी) की टिप्पणियां समाविष्ट हैं। कानून, नियम एवं विनियमन (औचित्य एवं नियमितता) तथा दक्षता-सह- निष्पादन पहलुओं इत्यादि, यदि कोई हो, की अनुपालना से सम्बन्धित वित्तीय सम्पादनों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाः पृथकनः निरीक्षण प्रतिवेदनों/सी.ए.जी. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से सूचित किए जाते हैं।
3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम, ये उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरणियों भौतिक अयथार्थ विवरणों से मुक्त हैं, लेखापरीक्षा आयोजन तथा सम्पन्न करें। एक लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणियों में प्रकटकरणों तथा राशियों को समर्थन देने वाले प्रमाण, नमूना आधार पर परीक्षण सम्मिलित करती है। एक लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण के मूल्यांकन के अतिरिक्त प्रबन्धन द्वारा उपयोग किए गए लेखापरीक्षा सिद्धान्तों का निर्धारण तथा प्रबन्धन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण आकलनों को भी सम्मिलित करती है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत को उचित आधार प्रदान करती है।
4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि :
  - i) हमने सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण, जो हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे, प्राप्त कर लिए हैं।
  - ii) हमारे प्रतिवेदन से संव्यवहारित लेखाओं (तुलन-पत्र-तथा व्यय लेखा) को बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया है।
  - iii) हमारे मत में हरियाणा आवास बोर्ड, अधिनियम 1971 (1971 की हरियाणा अधिनियम सं. 20) के अन्तर्गत अपेक्षितानुसार आवास बोर्ड, हरियाणा द्वारा लेखाओं की समुचित बहियां तथा अन्य संबन्धित अभिलेख अनुरक्षित किए गए हैं। (डी. एस. ए. आर. में दिखाई गई त्रुटियों को छोड़कर) कि ये ऐसी बहियों में हमारी जांच से प्रकट होते हैं।
  - iv) हम आगे सूचित करते हैं कि :

**ए. तुलन पत्र :****1. देयताएं****1.1 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान ( अनुसूची-4 ) 598.40 करोड़ रुपये**

- (क) उपरोक्त राशि में किसी पार्टी को देय 0.35 करोड़ रुपये से कम दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान “देनदारियों और प्रवधानों” का अवकथन हुआ है और वर्ष के लिए आय पर व्यय का 0.35 करोड़ रुपये से अतिकथन हो गया है।
- (ख) 7 वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन पर वेतन और भतों के बकाया का प्रावधान न होने के कारण उपरोक्त को 1.49 करोड़ रुपये में नहीं दर्शाया गया। (1 जनवरी 2016 से प्रभावी और 31 मार्च 2018 तक देय) इससे वर्तमान देनदारियों और प्रवधानों का अवकथन हुआ है और वर्ष के लिए व्यय पर आय की अधिकता 1.49 करोड़ रुपये से अतिकथन हुआ है।

**2. परिसम्पत्तियां****2.1 चालू परिसम्पत्तियां ( अनुसूची-6 )****2.1.1 विविध देनदार**

आवास आबंटी : 274.87 करोड़ रुपये

बूथ एवं प्लॉट आबंटी : 13.04 करोड़ रुपये

अन्य : 9.17 करोड़ रुपये

- (i) सभी देनदार असमाधानित तथा अपुष्ट थे। बोर्ड द्वारा अनुरक्षित आबंटी-बार बहियां अपूर्ण थीं। शेषों की पुष्टि एवं मिलान के अभाव में शीर्ष के अन्तर्गत प्रकट होने वाले आंकड़ों की शुद्धता का लेखापरीक्षा में पता नहीं लगाया जा सका। इसको पिछले वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किये जाने के बावजूद इस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
- (ii) विविध देनदारों में पार्टियों से वसूलनीय 2.90 करोड़ रुपये की राशि सम्मिलित है। जो कि पांच वर्षों से अधिक पुराने देनदार थे। इसमें से संदिग्ध व डूबते ऋणों का केवल 0.03 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह वर्ष 2002-03 से 2016-17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बार-बार इंगित किए जाने के बावजूद इस संबंध में बोर्ड द्वारा उनकी प्रत्यात पर अभी विचार करना है।

**2.1.2 163.45 करोड़ रुपये के भूमि लागत को स्कीमों पर बांटना :**

उपरोक्त देय भूमि लागत तुलन पत्र में आखिरी दिनांक को दर्शाई गई है। भूमि लागत की देय किस्त के भुगतान से आखिरी दिनांक तक का देय ब्याज शामिल नहीं है। देय ब्याज का प्रावधान करने से भूमि लागत व विविध लेनदारों का 53.06 करोड़ रुपये का अवकथन हुआ। इसके इलावा बोर्ड ने सम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया और भूमि का उपयोग नहीं किया।

**2.1.3 नकद और बैंक जमा**

रोकड़ पुस्तक के अनुसार बैंक जमा राशि का पास बुकों के साथ मिलान किया गया है। यद्यपि, रोकड़ पुस्तक और

पासबुक के 0.14 करोड़ रुपये के अन्तर को बैंक प्रभार खर्च मान लिया गया है। इन खर्चों को आय व व्यय खाते में नहीं लिया गया। इस प्रकार तुलनपत्र में बैंक जमा राशि ठीक नहीं दर्शाई गई है व इसको ठीक दर्शाया जाना चाहिये। परिणामतः 0.14 करोड़ रुपये के बैंक प्रभार का अवकथन और नकद व बैंक जमा का अतिकथन हुआ है।

#### 2.1.4 बिना बिक्री के 758.77 करोड़ रुपये का आवासीय भण्डार

उपरोक्त शेष में बोर्ड द्वारा पिछले वर्षों में बेचे गये आवासीय भण्डार शामिल है जिनका अब आर्बिट्रियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। चूंकि आत्मसमर्पण घर बिक्री रिटर्न है, इसलिए इन्हें मूल लागत पर बुक किया जाना चाहिए था, जिन पर इसका निर्माण किया गया था और बिक्री के लिए पहले पारित प्रविष्टियों को उलट दिया जाना चाहिए था और जब्त की गई राशि को बोर्ड की आय के रूप में माना जाना चाहिए था। इसके अलावा आत्मसमर्पण घरों/एससीओं/दुकानों के क्लोजिंग स्टॉक को लागत या बाजार मूल्य पर जो भी कम हो दिखाया जाना चाहिए था।

इस संदर्भ में खातों और लेखांकन नीतियों के 10 नम्बर नोट पर ध्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता है जिसमें कहा गया है कि “अनसोल्ड हाउसिंग स्टॉक को लागत पर मूल्य दिया गया है। इसके अलावा वर्ष के दौरान आत्मसमर्पण किए गए घरों को लागत मूल्य पर दर्शाया है।

उपर्युक्त उपचार देने के बजाय 93 मामलों में (जहां घर/एससीओं/दुकानों की नीलामी की गई और बाद में आत्मसमर्पण किया गया) बोर्ड ने घरों/एससीओ/दुकानों की लागत को बिक्री मूल्य में से जब्त राशि कम करके दर्शाया है जिसके परिणामस्वरूप सरेंडर, बिक्री मूल्य की लागत से अधिक है। इस गलत उपचार के परिणामस्वरूप बेचे गए हाउसिंग स्टॉक के साथ-साथ रिजर्व और अधिशेष का भी 7.25 करोड़ रुपये से अतिकथन हुआ है।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में यह आश्वासन दिया था कि बोर्ड के वित्तीय सलाहकार से सलाह प्राप्त करने के बाद बिना बिके हुए सरेंडर मकानों की लागत में आवश्यक सुधार चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में किया जाएगा परन्तु खातों की पुस्तकों में कोई सुधार नहीं किया गया है।

#### सी : सहायता अनुदान

बोर्ड ने वर्ष 2017-18 दौरान कोई भी सहायता अनुदान प्राप्त नहीं किया।

#### डी : प्रबन्ध पत्र

कमियां जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं की गई है, उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्यवाही हेतु पृथकतः जारी प्रबन्ध-पत्र के माध्यम से आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला के ध्यान में लाई गई है।

- (v) पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में दी गई अभ्युक्तियों के अध्यक्षीन, हम सूचित करते हैं कि इस प्रतिवेदन से संव्यवहारित तुलन-पत्र तथा आय एवं व्यय लेख, लेखाओं की बहियों से मेल खाते हैं।
- (vi) हमारे मत में तथा हमारी सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुलग्नक में वर्णित उपर्युक्त महत्वपूर्ण मुद्दों तथा अन्य मुद्दों के अध्यक्षीन तथा लेखांकन नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठित कथित वित्तीय विवरणियां भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा सिद्धान्तों के अनुसार सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करती हैं।

(4)

- (क) जहां तक यह 31 मार्च 2018 को आवास बोर्ड, हरियाणा, पंचकूला के कार्यों की स्थिति के तुलन-पत्र से संबंधित है,
- (ख) जहां तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा के अधिक्त से संबंधित हैं।

भारत के नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक की ओर से

स्थान : चण्डीगढ़

दिनांक : 30.08.2019

हस्ता,

प्रधान महालेखाकार ( लेखापरीक्षा )

हरियाणा, चण्डीगढ़

‘प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।’

## आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला के वर्ष 2017-18 के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुलग्नक

### 1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

वर्ष 2017-18 के दौरान बोर्ड में कोई आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी।

### 2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

बोर्ड में प्रचलित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली निम्नलिखित क्षेत्रों में कमी पाई गई थी :

- ए) ऋण और अग्रिमों के लिए वित्तीय आंकड़े, विविध देनदार, सुरक्षा जमा, कर्मचारियों पर देय राशि, पंजीकरण जमा, आबंटियों के अन्य जमा, अग्रिम धन और ठेकेदारों की सुरक्षा कटौती और अन्य डेबिट और क्रेडिट वित्तीय आंकड़े अपुष्ट और असमाधानित थे।
- बी) बोर्ड ने कोई लेखांकन मैनुअल तैयार नहीं की है।
- सी) नकद स्टॉक और अन्य कीमती सामानों से निपटने वाले कर्मचारियों के कर्तव्यों से बदलने की कोई प्रणाली/योजना नहीं है।
- डी) बोर्ड को नकद और शेयर जैसे कीमती सामानों को संभालने वाले कर्मचारियों से कोई सुरक्षा जमा/निष्ठा गारंटी प्राप्त नहीं हुई है।
- ई) भूमिगत संपत्तियों और भवन के लिए शीर्षक कार्यों की संपत्ति रजिस्टर/सूची बोर्ड बोर्ड द्वारा तैयार नहीं की गई थी।

### 3. स्थायी परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

बोर्ड द्वारा स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया था।

### 4. वस्तु सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वस्तु सूची का भौतिक सत्यापन बोर्ड द्वारा में किया गया था।

### 5. सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता

बोर्ड समय पर सांविधिक देयों को जमा करने में नियमित था।

हस्ता.

वरिष्ठ उप-महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र)

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला  
31 मार्च 2018 का तुलनपत्र

विवरण	तालिका	31.3.2018 के आंकड़ें	31.3.2017 के आंकड़े
<b>देयताएं</b>			
पूँजीगत निधि	1	4080716679	3956735784
रिज़र्व और अधिशेष	2	3630795127	3496595127
असुरक्षित ऋण	3	4577045596	4825996294
चालू देयताएं एवं प्रावधान	4	5983995803	5615810339
<b>कुल जोड़</b>		<b>18272553205</b>	<b>17895137544</b>
<b>परिसम्पत्तियां</b>			
स्थायी परिसम्पत्तियां	5 & 5A	219397966	101288162
चालू परिसम्पत्तियां	6	17374309433	17130185023
कर्ज तथा पेशगियां	7	678845806	663664359
<b>कुल जोड़</b>		<b>18272553205</b>	<b>17895137544</b>

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां  
वित्तीय विवरणों पर नोट्स

8

दिल्लों एण्ड एसोसिएटस  
चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स  
( फर्म का रजिस्ट्रेशन नं० 002783 एन )

( सी० ए० राजेश मल्होत्रा )  
पार्टनर  
एम० नं० 090661

हस्ता.  
जवाहर सिंह  
अध्यक्ष

हस्ता.  
सतपाल शर्मा, एच.सी.एस.  
मुख्य प्रशासक

हस्ता.  
राजेश कुमार गुप्ता  
मुख्य लेखा अधिकारी

स्थान : पंचकूला  
दिनांक : 23.10.2018

# आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला वर्ष 2017-2018 का आय एवं व्यय खाता

(7)

खर्चे	31.3.2018 के आंकडे	आय	31.3.2018 के आंकडे	31.3.2017 के आंकडे
वेतन	206564365	विभिन्न फार्मों की बिक्री	729374	151600
ई.पी.एफ	15282192	जुमाने (अलोटी)	10999586	7995628
चिकित्सा व्यय	931533	इन्सिस्टेंट शुल्क	84437	60000
मानदेव	1388400	कॉलोनियों की बीमा खर्चों की वसूली	1690730	1172959
ग्रेजुटी	8634334	प्रोसेसिंग एवं स्थानांतरण प्रभार	11910262	11376501
अवकाशीय यात्रा रियायत	6409378	मकान किराया कटौती	281671	1489569
यात्रा व्यय (स्टाफ)	1825267	एच.पी.टीए. फार्म की फीस	42845	33285
विजली पानी का व्यय	2464508	किराया प्राप्त	2531083	118900
मनोरंजन व्यय	265256	रजिस्ट्रेशन राशि जल्द	26809350	25843950
कानूनी व्यय	1548479	देख-रेख व्यय की प्राप्ति	9500	0
किराया	905723	विभिन्न प्राप्तियां	2790784	2871851
अखबार व्यय	45297	आय से व्यय का आधिक्य	238230846	225447667
डाक का व्यय	681340			
लेखन व छपाई	1186458			
स्टाफ कार/जीप खर्च	3914699			
बिज्ञापन	5333484			
पुरम्मत व्यय	908533			
स्टाफ वेल्फेयर	408679			
अनुदान	325000			
विभिन्न खर्चे	1407647			
वाहन खर्चे	21958			
टेलीफोन व्यय	700038			
फोटोस्टेट व्यय	285730			
प्रशिक्षण शुल्क	19500			
ऑडिट फीस	0			
गेस्ट हाऊस के रख-रखाव पर खर्च	796846			
मूल्य हास	15405026			
कम्प्यूटर खर्चे	443089			
कार्यालय भवन रखरखाव पर खर्चे	567430			
नई पेंशन स्कीम	222959			
स्टाफ क्वार्टर के रखरखाव खर्चे	1123818			
परामर्श फीस	269755			
हाऊसिंग कालोनियों का बीमा शुल्क	412915			
सेवा कर	485497			
स्वच्छ भारत सैस	17339			
कृषि कल्याण उपकर	17339			
मैन पावर आपूर्ति सेवाएं	14130364			
आई.टी. साफ्टवेयर खर्चे	329593			
एच.पी.टी. ए. फार्मों की लागत	13500			
लाभ/प्रशासनिक शुल्क की राहत	417200			
<b>कुल जोड़</b>	<b>296110468</b>	<b>कुल जोड़</b>	<b>296110468</b>	<b>276561910</b>

आय से व्यय का आधिक्य	238230846	225447667	ब्याज प्राप्ति अलाटियों से	312422479	268534686
दिया गया ब्याज	61629263	13258640	ब्याज प्राप्ति अन्यो से	7704127	22200521
आयकर के लिए प्रावधान	152161372	138385500	मकानों की बिक्री से लाभ/हानि	329422231	362716336
पिछले वर्ष का आयकर	3743783	3302	बूथ और मकानों की निलामी से आय	64397322	0
दूसरे दायित्वों के निपटारे हेतु खर्च	134200000	143700000			
व्यय से आय का आधिक्य	123980895	132656434			
<b>कुल जोड़</b>	<b>713946159</b>	<b>653451543</b>	<b>कुल जोड़</b>	<b>713946159</b>	<b>653451543</b>

ढिल्लों एण्ड एसोसिएटस  
 चार्टर्ड एकाउंटेंटस  
 ( फर्म का रजिस्ट्रेशन नं० 002783 एन )

( सी० ए० राजेश मल्होत्रा )  
 पार्टनर  
 एम० नं० 090661

हस्ता.  
 जवाहर सिंह  
 अध्यक्ष

हस्ता.  
 सतपाल शर्मा, एच.सी.एस.  
 मुख्य प्रशासक

हस्ता.  
 राजेश कुमार गुप्ता  
 मुख्य लेखा अधिकारी

स्थान : पंचकूला  
 दिनांक : 23.10.2018

(9)

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला

तालिका - 1

पूँजीगत निधि

विवरण	31.3.2018 के आंकड़ें	31.3.2017 के आंकड़े
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	3956735784	3824079350
जमा : चालू वर्ष में व्यय से आय का आधिक्य	123980895	132656434
<b>कुल जोड़</b>	<b>4080716679</b>	<b>3956735784</b>

तालिका - 2

रिज़र्व और अधिशेष

विवरण	31.3.2018 के आंकड़ें	31.3.2017 के आंकड़े
विभिन्न दायित्वों के भुगतान हेतु आरक्षित कोष	3630795127	3496595127
<b>कुल जोड़</b>	<b>3630795127</b>	<b>3496595127</b>

**आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला**  
तालिका - 1  
**पूंजीगत निधि**

विवरण	31.3.2018 के आंकड़ें	31.3.2017 के आंकड़े
HUDCO से ऋण	2329801000	3155460000
एन.एच.बी. से ऋण	968000000	1320000000
एच.डी.एफ.सी. से कार्यशील पूंजी	439294596	350536294
HARCO बैंक से कार्यशील पूंजी	839950000	0
<b>कुल जोड़</b>	<b>4577045596</b>	<b>4825996294</b>

**तालिका - 4 चालू देयताएं और प्रावधान**

विवरण	31.3.2018 के आंकड़ें	31.3.2017 के आंकड़े
<b>ए) चालू देयताएं</b>		
प्रोस्पोक्टिव खरीददारों का जमा पंजीकरण	2480398822	2774248496
ठेकेदारों की प्रारम्भिक राशि	1564208	559368
ठेकेदारों द्वारा जमा प्रतिभूति	177631123	190052020
अतिरिक्त लेनदार	2394868930	1956460763
कर्मचारियों द्वारा जमा प्रतिभूति	8070	8070
अदा करने योग्य खर्च	10706296	10985837
जमा करने योग्य कटौतियां	4002985	12281034
आबंटियों की अतिरिक्त जमा राशि	1443130	1443130
कर्मचारियों को देय खर्च	789430	691790
पूंजीगत लागत पर देय खर्च	464320585	327254618
पंजीकृत प्रार्थियों को देने योग्य ब्याज	22722919	13839246
कालोनियों के रख रखाव पर देय खर्च	10261982	10411708
जी. एस. टी. देय	69655687	0
ठेकेदारों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति	102799845	91053145
<b>बी) प्रावधान</b>		
संदिग्ध एवं डूबे हुए खर्चों का प्रावधान	344841	344841
अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	90315578	87790773
आयकर का प्रावधान	152161372	138385500
<b>कुल जोड़</b>	<b>5983995803</b>	<b>5615810339</b>

**आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला  
तालिका - 5**

**स्थाई परिसम्पत्तियां का 31.3.2018 तक का विवरण ( मुख्यालय )**

विवरण	घटा मूल्य 1.4.2017	वर्ष के दौरान 1.4.2017 तक खरीद	वर्ष के दौरान 30.9.2017 के बाद खरीद	वर्ष के दौरान निपटान	31.3.2018 तक कुल लागत	वर्ष के दौरान घिरावट	घटा मूल्य 31.3.2018
फर्नीचर और फिक्सचर्स	10	2093952	81578	81842	0	2257372	2035727
आफिस का सामान	15	316523	50535	77220	0	444278	383428
बिजली का सामान	15	1051430	53980	57465	0	1162875	992754
साईकिल	15	9430	0	0	0	9430	8015
स्टाफ कार	15	3453568	0	785732	0	4239300	3662335
किताबें	15	26130	0	1553	0	27683	23647
कम्प्यूटर	40	2864488	425552	1170132	0	4460172	2910130
<b>कुल ( ₹ )</b>		<b>9815521</b>	<b>611645</b>	<b>2173944</b>	<b>0</b>	<b>12601110</b>	<b>10016036</b>
<b>टेक्नीकल ( ₹ )</b>							
<b>( तालिका 5 क )</b>		<b>91472641</b>	<b>63571</b>	<b>131994855</b>	<b>0</b>	<b>222201882</b>	<b>209381930</b>
<b>सकल जोड़</b>		<b>101288162</b>	<b>675216</b>	<b>134168799</b>	<b>1329185</b>	<b>234802992</b>	<b>219397966</b>

( 11 )

**आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला**  
**तालिका - 5क**

**स्थाई परिसम्पत्तियां का 31.3.2018 तक का विवरण (टेकनीकल)**

विवरण	घटा मूल्य 1.4.2017	वर्ष के दौरान 1.4.2017 तक खरीद	वर्ष के दौरान 30.9.2017 के बाद खरीद	वर्ष के दौरान निपटान	31.3.2018 तक कुल लागत	वर्ष के दौरान घिरावट	घटा मूल्य 31.3.2018	
<b>1. भूमि</b>								
क) आफिस	0	421478	0	37422	384056	0	384056	
ख) विश्राम गृह	0	85540	0	0	85540	0	85540	
ग) आवास भवन	0	318000	0	0	318000	0	318000	
घ) स्टाफ क्वार्टर	0	1214574	0	387326	11758448	0	11758448	
ड) संस्थान	0	0	2520000	0	2520000	0	2520000	
<b>2. ईमारत</b>								
क) आफिस	10	5047760	0	68974	4978786	497880	4480906	
ख) विश्राम गृह	10	1126075	0	0	1126075	112608	1013467	
ग) आवास भवन	10	5763637	0	0	5763637	576364	5187273	
घ) स्टाफ क्वार्टर	5	9432099	0	835463	8596636	429831	8166805	
ड) कार्यालय खण्ड और होस्टल बिल्डिंग	10	53855378	0	785192	54640570	5424798	49215772	
	10	0	105993263	0	105993263	5299663	100693600	
<b>3. फर्नीचर और फिक्सचर्स</b>	10	1213957	31296	0	1245253	124525	1120728	
<b>4. आफिस का सामान</b>	15	95653	0	0	95653	14348	81305	
<b>5. बिजली का सामान</b>	15	729966	17375	16400	763741	113332	650409	
<b>6. साईकिल</b>	15	2966	0	0	2966	445	2521	
<b>7. स्टाफ कार</b>	15	1085539	0	0	1085539	162831	922708	
<b>8. किताबें</b>	15	7340	1300	0	8640	1296	7344	
<b>9. कम्प्यूटर</b>	40	141479	13600	0	155079	62031	93048	
<b>कुल जोड़ ( ₹ )</b>		<b>91472641</b>	<b>63571</b>	<b>131994855</b>	<b>1329185</b>	<b>222201882</b>	<b>12819952</b>	<b>209381930</b>

(2)

**आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला**  
**तालिका - 6 चालू परिसम्पत्तियां**

विवरण	31.3.2018 के आंकड़ें	31.3.2017 के आंकड़े
<b>कालोनियों की कीमत</b>		
लागत	4078217250	1504709452
घटाएँ : प्राप्ति	2573507798	4533840805
<b>विभिन्न देनदार</b>		
-मकानों के आबटियों से	2748734892	1931148487
-दुकानों और प्लाटों के आबटियों से	130358891	139721882
-अन्य	91739544	92220864
<b>जमीन की लागत</b>		
-दी गई कीमत	2352679858	2346002906
-जमीन की लागत जो कि अभी स्कीमों पर बांटनी है	1634497374	1398572327
<b>मकान निर्माण सामग्री</b>		
-डिवीजनों से	27097320	14548254
-ठेकेदारों के पास	71313102	106384992
-भूमि मुआवज़ा देय/प्राप्ति	1068629977	882283815
-मिलने वाला ब्याज	458110	2104694
<b>नकद और बैंक जमा</b>		
-नकद मुख्यालय में	20	104
-नकद डिवीजन्स में	0	1212
<b>बैंक जमा</b>		
-मुख्यालय में	54492940	142844906
-डिवीजन्स में	77333527	50702684
<b>फिक्सड डिपोजिट ( प्राप्ति )</b>	10275000	78469318
फिक्सड डिपोजिट (स्टाफ सिन्डिकेचरिटी)	1800	1800
कर्मचारियों के अग्रिम पर अर्जित ब्याज	4266267	4857983
बिना बिके हुए मकान	7587701992	5401575348
पहले अदा किए हुए खर्च	2484865	2887988
आर्बीट्रेशन अवार्ड वसूली/देय राशि	6296619	1318865
न्यायालय में लंबित केसों से वसूली/देय राशि	705774	695789
मिलने वाला किराया	532109	0
<b>कुल जोड़(₹)</b>	<b>17374309433</b>	<b>17130185023</b>

**आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला**  
**तालिका - 7 ऋण एवं अग्रिम**

विवरण	31.3.2018 के आंकड़ें	31.3.2017 के आंकड़े
<b>सुरक्षित अग्रिम</b>		
-ठेकेदारों को अग्रिम	15089080	25501605
-कर्मचारियों को वाहन के लिए अग्रिम	1330831	1233661
-कर्मचारियों को दूसरे उद्देश्यों के लिए अग्रिम	3908816	5249629
-विभिन्न विभागों में जमा प्रतिभूमि	950531	946431
<b>असुरक्षित अग्रिम</b>		
-कर्मचारियों को अग्रिम	876249	632047
-सप्लाइकर्ताओं को अग्रिम	7759087	10669779
-विभिन्न कार्यों के लिए अग्रिम	62841007	78640661
<b>आयकर</b>		
-आयकर वसूली योग्य वर्ष 2007-08	14555124	14555124
-आयकर वसूली योग्य वर्ष 2008-09	7638000	7638000
-आयकर वसूली योग्य वर्ष 2009-10	278720	278720
-आयकर वसूली योग्य वर्ष 2010-11	185418	185418
-आयकर वसूली योग्य वर्ष 2011-12	873520	659070
-आयकर वसूली योग्य वर्ष 2012-13	27173850	12728590
-आयकर वसूली योग्य वर्ष 2013-14	6617017	6617017
-आयकर वसूली योग्य वर्ष 2014-15	145899	15609199
-आयकर वसूली योग्य वर्ष 2015-16	80417769	80417769
-सेवा कर विवादित/वसूली योग्य	264876136	264876136
-विभिन्न स्रोतों द्वारा काटा गया कर वर्ष 2016-17	0	3725503
-आयकर वर्ष 2016-17	0	133500000
-अग्रिम आयकर वर्ष 2017-18	181800000	0
-विभिन्न स्रोतों द्वारा काव गया कर वर्ष 2016- 18	1528752	0
<b>कुल जोड़</b>	<b>678845806</b>	<b>663664359</b>

## आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला

### तालिका - 8 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां व लेखों पर टिप्पणियां ( 31.03.2018 के तुलनपत्र व आय और व्यय लेखा का वित्तीय भाग )

1. खाते संस्था के इतिहासिक लागत में वाणिज्यिक विधि के आधार पर बनाये गये है। वित्तीय लेखे प्रचलित लेखा नियमों के आधार पर बनाये गये हैं।
2. लेखांकन नीतियां जो कि विशेष रूप से संदर्भित नही की गई, वह आमतौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है।
3. आवश्यकता अनुसार पिछले साल के आंकड़ों को इकट्ठा/समायोजन कर लिया गया है।
4. आयकर कानून 1961 के अनुसार स्थाई परिसम्पत्तियों का ह्रास मूल्य नीति के अनुसार अवमूल्यन किय गया है। किसी भी प्रकार की परिसम्पत्तियों का वर्ष के दौरान पुनर्निधारक नहीं किया गया है।
5. मकानों की बिक्री का लाभ व हानि लागत मूल्य व बिक्री मूल्य के अन्तर को दर्शाता है।
6. वित्तीय विवरण में ऋण एवं अग्रिम, देनदारियां, लेनदारियां, जमा प्रतिभूतियां, कर्मचारियों को देय राशि, आबंटियों का पंजीकरण व अतिरिक्त जमा राशि, अग्रिम राशि ठेकेदारों की जमा प्रतिभूतियां और दूसरे नाम व जमा राशियां जो बिना पुष्टि के दर्शाई गई है, उनकी वसूली उसी मूल्य पर ही मानी जाएगी अगर वो सामान्य व्यवस्था में वसूल हो जाती है।
7. बोर्ड की कालोनियों/स्थानों पर होने वाले खर्चों को पूंजी खाते पर देय खर्च के रूप में दर्शाया गया है।
8. अवकाश देय राशि का प्रावधान प्रत्येक कर्मचारी के देय अवकाश के अनुसार किया गया है।
9. आई.सी.ए. आई. द्वारा जारी ए. एस. 7 में अंकित ठेका पद्धति का खाते बनाने में अनुसरण किया गया है।
10. बिना बिके हुए मकानों को उनकी मूल लागत पर दर्शाया गया है। इसके अलावा वर्ष के दौरान सरेन्डर मकानों को लागत मूल्य पर दर्शाया गया है।
11. आवास बोर्ड के विरुद्ध 52706821.00 रुपये का घोषित आर्बीट्रेशन एवार्ड अभी निर्णत नहीं है। इसी प्रकार 12135244.00 का बोर्ड के पक्ष में एवार्ड भी निर्णीत नहीं है। ये राशियां तुलन पत्र में नहीं दिखाई गई हैं।
12. आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान के अनुसार कर योग्य लाभ पर आयकर का प्रावधान किया गया है।
13. हुडको और एन.एच.बी. से अवधि ऋण बोर्ड की कोई भी संपत्ति बंधक रखे बिना, हरियाण सरकार की गारंटी पर लिया है।
14. बोर्ड ने जीवन बीमा निगम की ग्रेच्युटी फण्ड की मास्टर पालिसी को अपनाया है, जिससे बोर्ड के कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति पर संविधानिक दायित्व की पूर्ति की जा सके। 31.3.2018 को जीवन बीमा निगम ने कुल

98807789.00 रुपये का शुद्ध बकाया प्रमाण पत्र जारी किया गया है जो कि गेच्युटी का भुगतान करने के पश्चात् दर्शाया गया है।

15. बोर्ड का संस्थागत ढांचा व कार्यकारी नीतियां हरियाणा सरकार की मकान व भलाई की योजनाओं को मध्यनजर रखते हुए बनाई गई है।
16. पैसों के आंकड़े को रुपयों में परिवर्तित कर दिया है।

ढिल्लों एण्ड एसोसिएटस

चार्टर्ड एकाऊंटैंटस

( फर्म का रजिस्ट्रेशन नं० 002783 एन )

( सी० ए० राजेश मल्होत्रा )

पार्टनर

एम० नं० 090661

हस्ता.  
जवाहर सिंह  
अध्यक्ष

हस्ता.  
सतपाल शर्मा, एच.सी.एस.  
मुख्य प्रशासक

हस्ता.  
राजेश कुमार गुप्ता  
मुख्य लेखा अधिकारी

स्थान : पंचकूला

दिनांक : 23.10.2018



